

| (1) | (2) | (3) |
|-------|------------|---|
| "452Q | कोई अध्याय | <p>आरईपी के निर्माण हेतु किसी प्रोमोटर को किसी अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में अध्याय शीर्षक 2523 के अंतर्गत आने वाले पूंजीगत माल और सीमेंट के अलावा किसी माल की आपूर्ति जिस पर अधिसूचना सं. 7/2019- राज्य कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019 में यथा निर्धारित, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उप- धारा 4 के अंतर्गत माल की प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रोमोटर द्वारा कर अदा किया गया हो</p> <p>स्पष्टीकरण – इस प्रविष्टि के उद्देश्य से-</p> <p>(i) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।</p> <p>(ii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्राय: किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है</p> <p>(iii) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभिप्राय: होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।</p> <p>(iv) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्राय: उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।</p> <p>(v) यह प्रविष्टि सभी वस्तुओं पर लागू किए जाने हेतु ली जानी है जो यहां दी गई शर्तों को पूरा करती है, चाहे वे इस अधिसूचना में कहीं और किसी अधिक विशिष्ट अध्याय/शीर्षक/उप शीर्षक या टैरिफ मद द्वारा कवर किए जाएं ।</p> |

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 मार्च 2019

क्रमांक एफ-10-17/2019/वाक/पांच (41). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-17/2019/वाक/पांच(41), दिनांक 29-03-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीना बाबासाहेब कंगाले, सचिव.

Atal Nagar, the 29th March 2019

NOTIFICATION
No. 08/2019-State Tax (Rate)

No. F-10-17/2019/CT/V (41). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No. 1/2017-State Tax(Rate)-F-10-43/2017/CT/V(69), dated the 28th June, 2017 of the State Government, Commercial Tax Department, published in the Gazette (Extraordinary) of Chhattisgarh, No. 252, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in Schedule III - 9%, after serial number 452P in column (1) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

| (1) | (2) | (3) |
|-------|-------------|--|
| "452Q | Any chapter | <p>Supply of any goods other than capital goods and cement falling under chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), by an unregistered person to a promoter for construction of the project on which tax is payable by the promoter as recipient of goods under sub-section 4 of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), as prescribed in notification No. 07/ 2019- State Tax (Rate) dated 29th March, 2019</p> <p>Explanation. For the purpose of this entry, -</p> <p>(i) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016).</p> <p>(ii) "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP).</p> <p>(iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016).</p> <p>(iv) "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 percent of the total carpet area of all the apartments in the REP.</p> <p>(v) This entry is to be taken to apply to all goods which satisfy the conditions prescribed herein, even though they may be covered by a more specific chapter/ heading/ sub heading or tariff item elsewhere in this notification.</p> |

2. This notification shall come into force with effect from the 1st of April, 2019.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
REENA BABASAHEB KANGALE, Secretary.